2275

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5—04 / 2007 / 10—2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 / 01 / 2025

प्रति,

ए.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली — 110003।

विषयः— Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2(1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s South Eastern Coalfields Limited for non-forestry use of 402.966 ha. of forest land for Kusmunda and Laxman Opencast Coal Mining projects in Korba District of Chhattisgarh Online Proposal No. FP/CG/MIN/22244/2005) - reg..

संदर्भः—1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-8/2024-FC, दिनांक 09.02.2024।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) का पत्र क्रमांक / भू—प्रबंध / खनिज / 104 / 1796, दिनांक 22.07.2024।

———00———

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी (अधिसूचना की प्रति) चाही गई है।

2/— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वांछित उक्त अधिसूचना प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) को प्रकाशित किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार (03 पृष्ठीय)।

(मयंक पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5—04 / 2007 / 10—2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 / 01 / 2025

प्रतिलिपि :—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर उक्त अधिसूचना की छायाप्रति (03 पृष्ठीय) संलग्न कर सूचनार्थ। कृपया उक्त अधिसूचित रकबा को कार्य आयोजना में नियमानुसार सम्मिलित करने का कष्ट करें।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
4. वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल, छत्तीसगढ़।
5. आवेदनकर्ता मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र, कोरबा, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

5170

ou

2266

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ [illegible] / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 16 जनवरी 2025 — पौष 26, शक 1946

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 5–04/2007/10–2 (पार्ट).— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं कॉलम (5) में क्रमशः यथा दर्शित खसरा क्रमांक एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर "आरक्षित वन" के रुप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रुप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिए तथा उक्त अधिनियम के अध्याय–दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा उप–खण्ड को वन व्यपस्थापन अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है, अर्थात्:–

अनुसूची

जिला–कोरबा
तहसील– दर्री

वनमण्डल – कटघोरा
परिक्षेत्र – कटघोरा

स.क्रं.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे.में)	अवस्थिति / सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुरपा	प.ह.न. 35 दुरपा	433 / 1	18.000	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 1 से 15 तक। पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 15 से 29 तक। दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 29 से 34 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 34 से 1 तक ।
		योग	1	18.000	

	खम्हरिया	प.ह.न. 32 खम्हरिया	277 284	0.531 2.833	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 38 से 42 एवं 42 से 85/45 तक पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 85/45 से 73/1 तक दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 73/1 से 9 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 9 से 38 तक
		योग	02	3.364	
3.	जरहाजेल	प.ह.न. 33 जरहाजेल	4/2 188/1 188/4 188/7	10.351 1.420 0.356 0.073	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 14 तक। पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 14 से 59 तक। दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 59 से 66 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 66 से 1 तक।
		योग–	4	12.200	
महायोग			7	33.564	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जनवरी 2025

क्रमांक/एफ 5–04/2007/10–2 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र./एफ 5–4/2007/10–2 (पार्ट) दिनांक 10–01–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th January 2025

NOTIFICATION

No./F 5-04/2007/10-2 (Part).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as "Reserved Forest" and appoints the Sub-divisional Officer (Revenue) Katghora sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire in to and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely:-

2268

SCHEDULE

District - Korba
Tahsil - Darri

Forest Division - Katghora
Range - Katghora

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No. and Name of Revenue Village, where Block is situated	Khasra Number	Area (in Hec.)	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Durpa	P.H.No. 35 Durpa	433/1	18.000	North - Artificial boundary line Survey Pillar No. 1 to 15. East - Artificial boundary line Survey Pillar No. 15 to 29. South - Artificial boundary line Survey Pillar No. 29 to 34. West - Artificial boundary Line Survey Pillar No. 34 to 1.
		Total	1	18.000	
2.	Khamariya	P.H.No.32 Khamariya	277 284	0.531 2.833	North - Artificial boundary line Survey Pillar No. 38 to 42 and 42 to 85/45. East - Artificial boundary line Survey Pillar No. 85/45 to 73/1. South - Artificial boundary line Survey Pillar No. 73/1 to 9. West - Artificial boundary line Survey Pillar No. 9 to 38.
		Total	2	3.364	
3.	Jarhajail	P.H.No.33 Jarhajail	4/2 188/1 188/4 188/7	10.351 1.420 0.356 0.073	North - Artificial boundary line Survey Pillar No. 1 to 14. East - Artificial boundary line Survey Pillar No. 14 to 59. South - Artificial boundary line Survey Pillar No. 59 to 66. West - Artificial boundary line Survey Pillar No. 66 to 1.
		Total -	4	12.200	
Grand Total			7	33.564	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK PANDEY, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.